राजस्व वाद स. 64/2020
नत्थुराम बनाम चन्द्रभान आदि
निर्णय दिनांक 5.1.1.23

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 64/2020 जी.सी.एम.सी नम्बर :– 2020/00415

नत्थुराम पुत्र श्री रामकुवार जाति अहीर निवासी झान्झा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)हाल आबाद बीकानेर जरिए मुखतार सतीश पुत्र इन्द्राज उम्र 35 वर्ष जाति अहीर निवासी झान्झा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.........वादी

– ब ना म –

1.चन्द्रभान पुत्र बुधराम
2.हरिसिंह पुत्र नारायण
3.प्रदीप पुत्र हनुमान
4.भोलाराम पुत्र हरिसिंह
5.हनुमान पुत्र हरिसिंह
6.राजकुमार पुत्र चन्द्रभान
7.रामनिवास पुत्र हरिसिंह
8.महावीर पुत्र भीखाराम
9.शीशराम पुत्र भीखाराम

} समस्त जातिगण अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा –खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक –5.1.1.23

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादी की ओर से ।
2. श्री रामस्वरूप यादव अधिवक्ता– प्रति. सं. 1 से 7 की ओर से तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र –, खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं किः–

1. यह कि वाके ग्राम झान्झा तहसील बुहाना स्थित भूमि [illegible] 95 रकबा 0.50 है. का 1/2 हिस्सा का खातेदार वादी नत्थुराम है तथा प्रतिवादी सं. 8 का [illegible] 14 [illegible] प्रतिवादी सं. 9 का 3/7 हिस्सा है जो अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज कार[illegible]
2. यह कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है ना तो यह भूमि उनकी खातेदारी की है ना ही इस भूमि के [illegible] उनकी कोई भूमि है वादी [illegible] भूमि गांवकी आबादी के नजदीक पड़ती है जिस पर वादी की ओर [illegible] उसका मुख्तार सतीश [illegible] काबिज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 64 / 2020
नत्थुराम बनाम चन्द्रभान आदि
निर्णय दिनांक 5.1.23

वादी बिकानेर जिले में आबाद है एवं सतीश कुमार पुत्र इन्द्राज को उसने अपना मुख्तार नियुक्त कर रखा है लिखित मुख्तारनामा वाद पत्र के साथ पेश है।

3. यह कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 ने नाजायज संगठन बना रखा है वादी के बिकानेर रहने से उनके मन में बेईमानी आ गई है इसलिए वे बिना किसी हक व अधिकार के वादी की खातेदारी की विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है दिनांक 12.06.2020 को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 ने जबरन बाहुबल के आधार पर वादी की खातेदारी की इस भूमि में ईट डाल दी जब वादी के मुख्तार ने उन्हे मना किया तो उन्होने धमकी दी की वे इस भूमि पर वादी के हिस्से में जबरन कब्जा कर निर्माण करेगें जिसका प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 को कोई हक व अधिकार नही है।

4. यह कि वादी की प्रतिवादी सं. 8 व 9 के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि पर यदि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 जबरन कब्जा कर लेते है या निर्माण कर लेते है तो वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है इसलिये वादी के लिये अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतू यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि वादी का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा है वादी का खाता प्रतिवादी सं. 8 व 9 के साथ संयुक्त रहने से वादी को अपने हिस्से की भूमि की सीमाएँ कायम रखने व सुरक्षा करने में भारी हकतलफी है इसलिए वादी के लिये खाता विभाजन भी आवश्यक हुआ है।

6. यह कि दावा के लिये आधार विवाद विवादित भूमि वादी की व प्रतिवादी सं. 8 व 9 के साथ संयुक्त खातेदारी की होने तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही होने व दिनांक 12.06.2020 को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 द्वारा नाजायज संगठन बनाकर वादी की भूमि में जबरन कब्जा कर निर्माण करने की नियत से ईट डाल लेने एवं उनको ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही होने से पैदा हुआ है।अतः दावा अन्दर मियाद है।

7. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम झान्झामें स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में हैं इसलिए दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

8. यह कि प्रतिवादी सं. 8व 9 संयुक्त खातेदार होने एवं प्रतिवादी सं. 10 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

9. यह कि दावा खाता विभाजन के लिए 1/–रू. , स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस नियत हैं अतः दावा कुल 2/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

10. यह कि दावा द्वितीय प्रति में पेश है तथा वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथपत्र पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम झान्झा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 95 रकबा 0.50 हैक्टर में वादी के 1/2 हिस्सा भूमि का मापन एवं सीमाकंन कर खाता प्रतिवादी सं. 8 व 9 से विभाजित कर लगान अलग से कायम कर विभाजन में आने वाले भाग पर वादी का स्वतन्त्र कब्जा करवाये जाने की कृपा करे।

(ख). कि प्रतिवादी सं. 1लगायत 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम झान्झा स्थित भूमि ख.न. 95 रकबा 0.50 है के किसी भाग में प्रवेश नही करे कब्जा नही करे किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नही करे, कोई निर्माण सामग्री नही डाले वादी के कब्जा कास्त में किसी प्रकार का दखल नही करे एवं ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये।

(ग). कि वाके ग्राम झान्झा स्थित भूमि ख.न. 95 रकबा 0.50 है. में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 द्वारा कोई निर्माण सामग्री डाल ली जाति है कोई भी कच्चा पक्का निर्माण या अतिक्रमण कर लिया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के खर्चा से उक्त अतिक्रमण [illegible] सामग्री को हटवाया जाकर कब्जा वादी का करवाया जाने की कृपा करे।

(घ). कि दावा वादी डिकी किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो [illegible] से अयाचित रह गया हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जाने कि कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रति. सं. 1 से 7 की ओर से श्री रामस्वरूप यादव, अधिवक्ता– उपस्थित आये जिन्होने वकालतानामा पेश किया जिन्हे जवाबदावा हेतू पर्याप्त अवसर दिये गये जवाब नही देने पर जवाब प्रतिवादी सं. 1 से 7 का बन्द किया गया शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 03–01–2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 03–1–2023 को प्राप्त हुई । वादी ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

– :: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम झान्झा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 95 रकबा 0.50 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 5.1.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 4/2020

नत्थुराम पुत्र श्री रामकुवार जाति अहीर निवासी झान्झा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)हाल आबाद बीकानेर जरिए मुखतार सतीश पुत्र इन्द्राज उम्र 35 वर्ष जाति अहीर निवासी झान्झा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

....................वादी

— ब ना म —

1. चन्द्रभान पुत्र बुधराम
2. हरिसिंह पुत्र नारायण
3. प्रदीप पुत्र हनुमान
4. भोलाराम पुत्र हरिसिंह
5. हनुमान पुत्र हरिसिंह
6. राजकुमार पुत्र चन्द्रभान
7. रामनिवास पुत्र हरिसिंह
8. महावीर पुत्र भीखाराम
9. शीशराम पुत्र भीखाराम

} समस्त जातिगण अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

दावा —खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं श्री **रामस्वरूप यादव**, अधिवक्ता— प्रति. सं. 1से 7 की उपस्थित इस वाद में आज तारीख ....को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि —

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम झान्झा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 95 रकबा 0.50 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ—1 लगायत अ—3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

निर्णय आज दिनांक 5.1.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.02.02 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)